संख्या-07/ 2022/ 2496ई-2/तेरह-2021-248925-44/16

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 06जनवरी, 2022**

विषय- मेसर्स श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट लिमिटेड, सण्डीला, जिला-हरदोई को ग्रेन आधारित आसवनी स्थापना हेतु निर्गत पी.डी.-33 एवं एफ.एल -. 3/3 ए अनुज्ञापनों की बैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: जी-90 /दो-प्रा.डी.-166/ गंग, दिनांक 20-12-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दृष्टिगत प्रश्नगत आसवनी की आसवनी स्थापना हेतु निर्गत पी.डी.-33 एवं एफ.एल -. 3/3 ए अनुज्ञापनों की बैधता अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/ संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्डएलाइड प्रोडक्ट लि, सण्डीला , जिला-हरदोई को आसवनी स्थापना का कार्य पूर्ण करने एवं अधिष्ठापित क्षमता के अंतर्गत विदेशी मदिराकी बोतल भराई हेतु कोविड -19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दृष्टिगत आसवनियों की स्थापना के सम्बन्ध में निर्गत उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली 2020 एवं उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा की बोतलों में भरने की (चैबीसवां संशोधन) नियमावली 2020 में शिथिलता प्रदान करते हुए 4 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने की अनुमति इस शर्त के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

साथ के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा नियमानुसार पी.डी -. 33 अनुज्ञापन की वैधता बढ़ाये जाने हेतु आसवनी की स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता पर रू. 25 प्रति कि. ली . की दर से एक वर्ष हेतु लाइसेंस फीस तथा विदेशी मदिरा की भराई हेतु निर्गत एफ. एल.- 3 एवं एफ.एल.-3 ए हेतु नियमानुसार एक वर्ष की लाइसेंस फीस जमा करना अनिवार्य होगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।